सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)

झारखण्ड रिपोर्ट, 2018

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)

झारखण्ड रिपोर्ट, 2018

भूमिका

केंद्रीय खनन कानून– खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (1957) संशोधन मार्च 2015, के तहत जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) का गठन किया गया। इसका एक स्पष्ट उद्देश्य है.'खनन संबंधित परिचालनों से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित और लाभ' के लिए कार्य करना।

डीएमएफ की परिकल्पना एक दशक पहले हुई थी। इसका गठन खनन जिलों की असमानता–जहाँ देश के खनन समृद्ध भूमि में सबसे गरीब और वंचित लोग बसते हैं–को संबोधित करने के लिए किया गया। डीएमएफ इस तरह की असमानता को दूर करने और इन लोगों के लिए सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

कानून के अनुसार डीएमएफ को एक ट्रस्ट के रूप में संचालित करने की आवश्यकता है, जो हर खनन जिले में गैर–लाभकारी निकाय के रूप में कार्य करेगी। लोगों की हित और भागीदारी इस संस्थान का मूल है। डीएमएफ का उद्देश्य और कार्य तीन मूल आधारों पर है– संवैधानिक प्रावधान जो पाँचवें और छठे अनुसूची से सम्बंधित है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम पेसा, 1996, और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006–वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रावधानों पर है। डीएमएफ प्रभावी होने के साथ, पहली बार लोगों को प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने के अधिकार की मान्यता प्राप्त हुई है। प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि डीएमएफ कोई अन्य विकास सम्बंधित फंड या सरकारी योजना नहीं है। जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) प्राकृतिक संसाधन के अभिशासन का एक जन केंद्रित दृष्टिकोण है जहाँ लोगों के लाभ प्राप्त करने के अधिकार को सबसे आगे रखा गया है। यदि डीएमएफ को उचित ढंग से विकसित एवं क्रियान्वित किया जाय, तो डीएमएफ में न केवल सबसे कमजोर समुदायों के जीवन और उनकी आजीविका में सुधार करने की अकूत क्षमता है बल्कि यह समावेशी अभिशासन के लिए भी एक आदर्श मॉडल हो सकता है।

आज, भारत के अधिकाँश खनन जिलों में डीएमएफ ट्रस्ट गठित किए गए हैं। खनिकों से अनिवार्य योगदान के तहत डीएमएफ फंड में सीधे राशि जमा होती है। 2015 से पहले दिए गए पट्टे के लिए रॉयल्टी राशि का 30 प्रतिशत के बराबर, और उसके बाद दी गई पट्टे के लिए 10 प्रतिशत डीएमएफ को जाता है। भारत में डीएमएफ में कुल संग्रहित राशि 18,467 करोड़ रुपये (खान मंत्रालय के जानकारी के अनुसार, मई 2018 तक) है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने भारत में हो रहे डीएमएफ कार्यान्वयन का आंकलन दो प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित करते हुए किया है। सबसे पहले, क्या राज्यों

और जिलों द्वारा डीएमएफ का संचालन इस रूप में हो रहा हैं कि यह अपने उद्देश्य और नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और दूसरा, क्या डीएमएफ फंड लक्षित लाभार्थियों के लाभ के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

सीएसई ने डीएमएफ ट्रस्ट के संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए 12 शीर्ष खनन राज्यों के 50 खनन जिलों की समीक्षा की हैं। इनमें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। फंड उपयोग का गहन आंकलन 13 जिलों का किया गया जो पाँच प्रमुख राज्यों–झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। झारखंड के चार जिलों का गहन विश्लेषण किया गया है जिनमें धनबाद, रामगढ़, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं।

हालाँकि, आंकलन के निष्कर्ष उत्साह–जनक नहीं है। क्योंकि डीएमएफ कार्यान्वयन से संबंधित कई जमीनी वास्तविकता और तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि इसने अपने नियमों और मूल्यों को नजरअंदाज किया है।

वैधानिक प्रावधानों द्वारा गठित ट्रस्ट होने के नाते, डीएमएफ को लाभार्थियों (खनन से प्रभावित विभिन्न श्रेणी के लोग) की पहचान झारखंड डीएमएफ ट्रस्ट नियम 2016 और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के दिशानिर्देश के अनुरूप करने की आवश्यकता है। यह वो लोग हैं जिनके लाभ के लिए डीएमएफ फंड का इस्तेमाल करना चाहिए; हालाँकि, लाभार्थियों की पहचान कहीं भी नहीं की गई है।

ध्यान मुख्य रूप से क्षेत्रीय विकास पर है, जहाँ खान स्थित है या खनन से संबंधित गतिविधियाँ हो रही है। जबकि खानों के आस–पास रहने वाले लोग निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, क्षेत्र विशिष्ट ध्यान से डीएमएफ के लाभ से कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी छूट गए है, जैसे खनन परिचालनों के कारण विस्थापित हुए लोग, जिन्होंने खनन से अपनी आजीविका (वन आधारित) या अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकारों को खो दिया है।

इसके अलावा, जिस तरह से डीएमएफ का संचालन किया जा रहा है वह भी एक बड़ी समस्या है। झारखंड डीएमएफ नियम और पीएमकेकेकेवाइ खनन प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्ति और भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं जैसे लाभार्थियों की पहचान, डीएमएफ प्लानिंग, और कार्यों और योजनाओं की समीक्षा के लिए । परन्तु, डीएमएफ निकाय में ग्रामसभा सदस्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

डीएमएफ के शाषी परिषद और प्रबंध समिति में सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व है। लोगों के भागीदारी के रूप में राजनीतिक सदस्यों जैसे सांसद सदस्यों और विधानसभा (एमपी और विधायक), और निर्वाचित पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

झारखंड में भी डीएमएफ उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था– योजना और समन्वय कार्यालय के बिना काम कर रहे हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केवल रामगढ़ और हजारीबाग जिलों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) की स्थापना की है।

निर्णय प्रक्रिया में लोगों की कम भागीदारी और योजना और समन्वय कार्यालय के बगैर डीएमएफ सही ढंग से क्रियाशील नहीं हो पाया है। इससे डीएमएफ का संचालन एवं निवेश के निर्णय बिना किसी ठोस तैयारी एवं अस्थायी बैठकों के माध्यम से किये जा रहें है। सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता के मुद्दों की कोई स्पष्ट समझ नहीं है, और अब तक कोई व्यवस्थित रणनीति के तहत प्लानिंग नहीं हुई है।

उदाहरण के लिए, झारखंड के जिलों में डीएमएफ से अबतक 1,744 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इनमें से 1,433 करोड़ रुपये (कुल निवेश का 82 प्रतिशत) पेयजलापूर्ति सम्बंधित परियोजनाओं के लिए है, और लगभग 16 प्रतिशत स्वच्छता के लिए हैं। डीएमएफ के तहत अधिकाँश जलापूर्ति योजना दामोदर नदी या इसकी सहायक नदियों पर निर्भर करती है। यह योजनाएं कितना सफल रहेंगी इस पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न उठता है क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

विभिन्न मामलों में, खनन द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को भी डीएमएफ लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। एक प्रमुख उदाहरण धनबाद जिला है, जहाँ 935 करोड़ रुपये की स्वीकृति में झारिया–जो धनबाद जिले का सबसे खनन प्रभावित क्षेत्र है, शामिल नहीं है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, जिला ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति की योजनाओं पर ध्यान दिया है जो मुख्य रूप से ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राज्य द्वारा पूर्व में बनायी गई योजना है।

इससे यह प्रतीत होता है कि डीएमएफ अपने जन–केंद्रित उद्देश्य से भटक रहा है और इच्छित लाभार्थियों की सेवा करने में विफल रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, डीएमएफ में आवश्यक सुधार लाने और बेहतर कार्यनीति बनाने की जरूरत है, ताकि डीएमएफ अपने उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांतों से विचलित न हो।

प्रशासनिक प्राथमिकता के रूप में, डीएमएफ को अपने नियमों और कानून की भावना का अनुपालन करना होगा। ट्रस्ट को अपने लाभार्थियों– 'लोगों' की पहचान करनी चाहिए। निवेश की योजना बनाते समय खनन प्रभावित लोगों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के बीच संतुलन बने रहना चाहिए। कानून ने स्पष्ट रूप से इसे परिभाषित किया है, और इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है।

संस्थान को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, डीएमएफ की निर्णय प्रक्रिया में पूरी तरह नौकरशाहों और राजनेताओं का बोल बाला नहीं होना चाहिए। खनन प्रभावित लोगों को डीएमएफ निकाय का हिस्सा होना चाहिए। साथ ही प्रशासनिक दक्षता के लिए, प्रत्येक डीएमएफ का समन्वयन व नियोजन के लिए एक कार्यालय होना चाहिए जिसमें आवश्यक कर्मचारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए ।

डीएमएफ की स्वायत्तता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, लेकिन खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने और प्राथमिकता देने के लिए डीएमएफ के दायरे को सीमित नहीं कर सकती है। यह न केवल संस्थान की स्वायत्तता के लिए नुकसानदेह है, बल्कि यह आवश्यक हस्तक्षेपों के दायरे को भी सीमित करता है। एक प्रमुख उदाहरण पश्चिमी सिंहभूम जिला है, इस जिले ने राज्य के पेयजल और शौचालय सम्बंधित दिशा निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश किया, परन्तु अपने महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण (काफी उच्च दर 95) और मृत्यु दर की स्थिति में सुधार के लिए अब तक आवश्यक निवेश करने में विफल रहा।

प्लानिंग और निवेश व्यवस्थित और व्यापक रूप से किया जाना चाहिए। प्लानिंग इस तरह से हो कि लघु और दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से स्पष्ट परिणाम निकल कर आयें, जो सामाजिक–आर्थिक और मानव विकास स्थितियों में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित कर सके और इसे बनाए रख सके। अंत में लोगों की संस्था के रूप में, प्रत्येक जिले में डीएमएफ से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।

लोगों के लाभ का अधिकार सुनिश्चित करने में डीएमएफ की बहुत बड़ी क्षमता है। यदि बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो डीएमएफ किसी भी समय विवादों में घिर जाएगा; और इस प्रक्रिया में, देश समावेशी शासन और न्यायसंगत विकास के सबसे बड़े अवसर से छूट जाएगा।

झारखंड

झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल डीएमएफ फंड में लगभग 2,696 करोड़ रुपये (मार्च 2018 तक) संग्रहित हुए है। डीएमएफ फंड का प्रमुख हिस्सा कोयला खनन से आता है, जो लगभग 81 प्रतिशत है। जिलों और राज्य सरकार से जानकारी के आधार पर, सीएसई ने विशेष रूप से चार शीर्ष खनन जिलों– धनबाद, रामगढ़, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम में डीएमएफ संचालन और निवेश का विश्लेषण किया है।

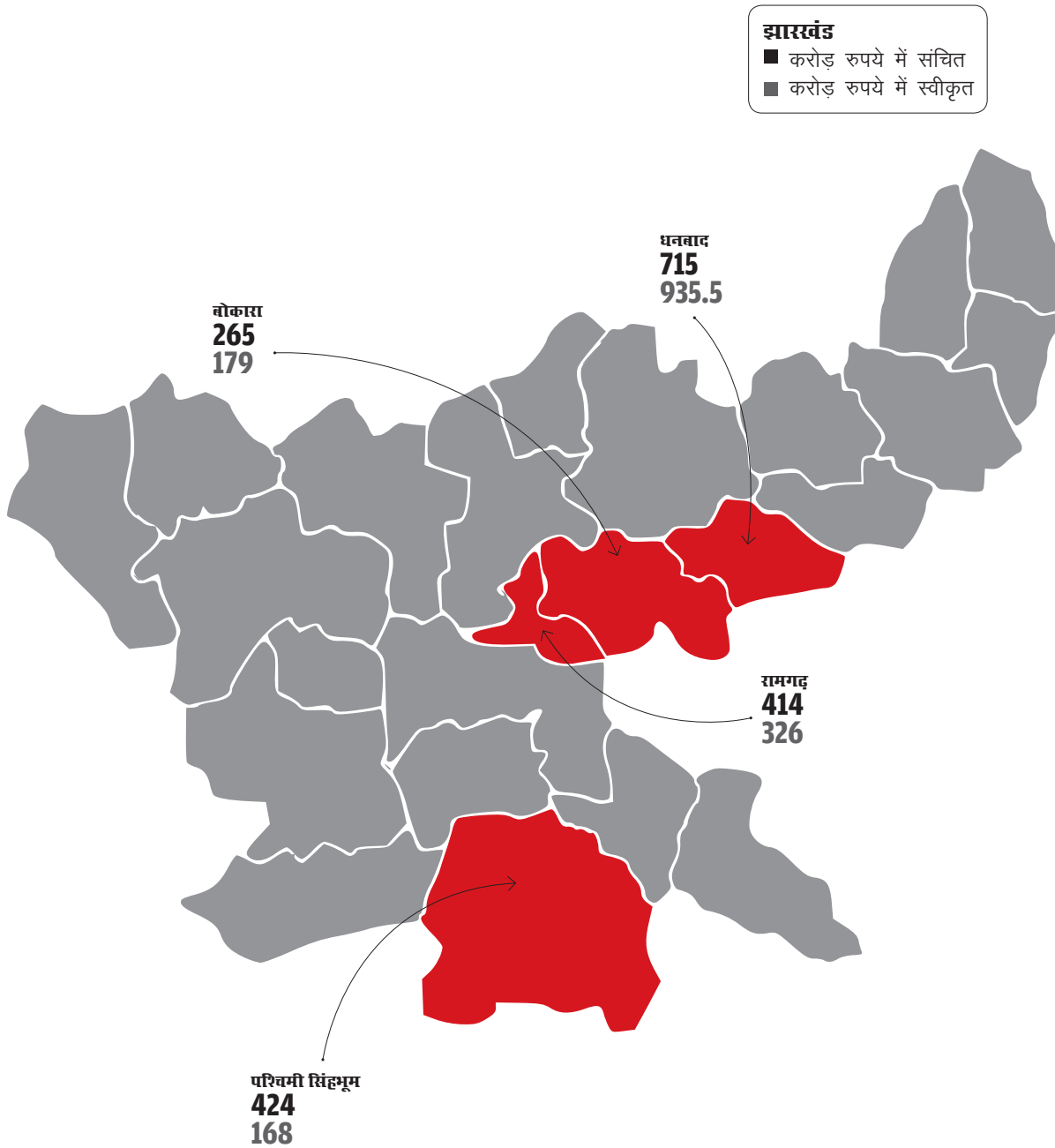

राज्य की स्थिति

डीएमएफ प्रशासन

- राज्य के विभिन्न जिलों ने राज्य डीएमएफ ट्रस्ट नियम (2016) के प्रावधानों के अनुसार सीधे प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है। राज्य सरकार ने खानों की परिधि में से कोई भी रेडियस निर्दिष्ट नहीं किया है जिसे सीधे प्रभावित माना जाना चाहिए।
- किसी भी जिले ने डीएमएफ लाभार्थियों की पहचान नहीं की है।
- प्रशासनिक स्तर पर, किसी भी जिले ने स्थायी डीएमएफ कार्यालय स्थापित नहीं किया है। कुछ महत्वपूर्ण खनन जिले जैसे रामगढ़ और हजारीबाग ने पीएमयू की स्थापना के लिए निविदा जारी की थी, जो अभी भी प्रक्रिया में है। हालाँकि, यह फुल–टाइम डीएमएफ कार्यालय के विकल्प नहीं हो सकते हैं।
- राज्य सरकार के डीएमएफ निवेश से सम्बंधित निर्देश ने प्लानिंग को टॉप–डाउन बना दिया। अक्टूबर 2016 में, सरकार ने डीएमएफ को दो मुद्दों पर ध्यान देने को कहा था–सभी जिलों में पाइप जलापूर्ति और गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए। बाद में, जिलों को अनुमानित वार्षिक डीएमएफ संग्रह और स्वीकृति निधि का तीन गुना अधिक योजनाओं के प्लान बनाने के लिए कहा गया था।
- पब्लिक डोमेन एवं राज्य डीएमएफ वेबसाइट में डीएमएफ संबंधित जानकारी का अभाव। केवल पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ ने जिला विशिष्ट डीएमएफ वेबसाइट विकसित की है, लेकिन डीएमएफ नियमों और पीएमकेकेकेवाई के अनुसार आवश्यक जानकारी अपलोड करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं हुए हैं।
- जिलों ने डीएमएफ का न तो वित्तीय और न ही सामाजिक अंकेक्षण किया है। इस पर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है।

चिन्मयी शल्य / सीएसई

धनबाद में लोग आजीविका के लिए निराशा में कोयले लेते हैं, जिसे अवैध खनिक कहा जाता है

डीएमएफ की संस्थानिक संरचना

शाषी परिषद्

आधिकारिक प्रतिनिधि

- उपायुक्त
- उप विकास आयुक्त
- पुलिस अधीक्षक
- जिले के वरिष्ठ मंडलीय वन पदाधिकारी (क्षेत्रीय/प्रादेशिक)
- जिला शिक्षा अधिकारी
- सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
- उप-निदेशक (खान)
- उप-निदेशक (भूतत्व)
- जिला बोर्ड के प्रतिनिधि
- जिला सहायक/खनन अधिकारी

राजनीतिक एवं सामुदायिक प्रतिनिधि

- सांसद के प्रतिनिधि
- जिला के विधायक या उसका/उसकी प्रतिनिधि
- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख/उप प्रमुख
- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया/उप मुखिया

उद्योग प्रतिनिधि

- शाषी परिषद द्वारा नामित दो शीर्ष खननकर्ता
- झारखण्ड लघु उद्योग एसोसिएशन के प्रतिनिधि

प्रबंध समिति

- उपायुक्त
- उप विकास आयुक्त
- पुलिस अधीक्षक
- जिले के वरिष्ठ मंडलीय वन पदाधिकारी (क्षेत्रीय/प्रादेशिक)
- जिला सहायक/खनन अधिकारी
- सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
- जिला पंचायती राज पदाधिकारी

तालिका 1: झारखंड में क्षेत्रवार आवंटन और व्यय

प्रक्षेत्र	स्वीकृत राशि (करोड़ में)	कुल स्वीकृति का प्रतिशत (%)	व्यय (करोड़ में)
पेयजलापूर्ति	1,433	82.2	289.2
स्वच्छता	274	15.7	233.3
स्वास्थ्य	5. 1	0.3	1.2
अन्य (बुनियादी ढांचे और नवीनीकरण कार्यों में जैसे पुल, चाहरदीवारी और प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं)	31.5	1.8	14.2
कुल	**1,743.6**		**537.9**

स्रोत: *खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, अप्रैल 2018*

डीएमएफ निवेश

- विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए कुल 1,744 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य निर्देशों के अनुरूप ध्यान जलापूर्ति और स्वच्छता (घरेलू शौचालयों का निर्माण) पर केंद्रित है।
- विभिन्न जिलों में 1,433 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए 274 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए है *(देखें तालिका 1: झारखंड में क्षेत्रवार आवंटन और व्यय)*।
- हालाँकि, अभी तक अधिकाँश जलापूर्ति योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी है, विशेष रूप से बड़ी परियोजनाएं। इस पर कुल 289 करोड़ रुपये (मार्च 2018 तक) व्यय हुए हैं।
- राज्य ओडीएफ लक्ष्य को पूरा करने के लिए शौचालय निर्माण तीव्र गति से कर रहा हैं। इस पर व्यय 233 करोड़ रुपये है, जो कुल स्वीकृत राशि के बराबर है।
- पाइप जलापूर्ति योजना का एक बड़ा हिस्सा दामोदर नदी या इसकी सहायक नदियों से पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऐसी परियोजनाएं कुल पेयजलापूर्ति पर स्वीकृति राशि का लगभग 81 प्रतिशत हैं, और धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जिलों के लिए हैं *(देखें तालिका 2: दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर जलापूर्ति परियोजनाएं)*।

राजीव रंजन / सीएसई

धनबाद में अधिकांश लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है

तालिका 2: दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर आधारित जलापूर्ति परियोजनाएं

जिला	प्रखंड	योजना का नाम	लागत (करोड़ में)	नदी का स्रोत	मुख्य नदी/सहायक नदी
धनबाद	बाघमारा	बाघमारा प्रखंड एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	92.7	दामोदर	दामोदर
		सदरियाडीह ग्रामीण जलापूर्ति	0.21	जमुनिया	दामोदर की सहायक नदी
		महुदा बस्ती एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	11.5	दामोदर	दामोदर
	गोविंदपुर निरसा एगारकुंड कलियासोल	गोविंदपुर–निरसा (दक्षिणी प्रक्षेत्र) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	233.2	पंचेत डैम	दामोदर
		गोविंदपुर–निरसा (उत्तरी प्रक्षेत्र) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	483.9	मैथन डैम बरा. कर नदी पर	दामोदर की सहायक नदी
	तोपचांची	तोपचांची एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	28.7	जमुनिया	दामोदर की सहायक नदी
	गोविंदपुर	जंगलपुर पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति	3.7	जमुनिया	दामोदर की सहायक नदी
बोकारो	पेटरवार	अंगवाली ग्रामीण जलापूर्ति	5.7	तेनुघाट नहर	दामोदर
	गोमिया	झिर्की ग्रामीण जलापूर्ति	6.4	दामोदर	दामोदर
		ललपनिया एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	11.9	जमुनिया	दामोदर की सहायक नदी
		कथारा ग्रामीण जलापूर्ति	4.6	बेनार	दामोदर की सहायक नदी
		तेनुघाट बायाँतट संयुक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पेटरवार प्रखंड में)	5.8	तेनुघट डैम	दामोदर नदी पर
	नावाडीह	दहियारी एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	4.8	जमुनिया	दामोदर की सहायक नदी
	चास	हासाबातू ग्रामीण जलापूर्ति	41.6	गरगा डैम	गरगा नदी पर, दामोदर की सहायक नदी
	बेरमो	बेरमो एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	53.1	दामोदर	दामोदर
	चंदनकियारी	बाटबिनोर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	8.7	दामोदर	दामोदर
रामगढ़	पतरातू	भुरकुंडा ग्रामीण जलापूर्ति	17.2	दामोदर	दामोदर
	रामगढ़/मांडू	मरार–सेवता ग्रामीण जलापूर्ति	20.2	दामोदर	दामोदर
	गोला	हेसापोड़ा ग्रामीण जलापूर्ति	18.4	दामोदर	दामोदर
	गोला	सोसोकला ग्रामीण जलापूर्ति	25.7	भैरवी	दामोदर की सहायक नदी
	रामगढ़	गोबरदाहा–हुहुआ ग्रामीण जलापूर्ति	24.4	दामोदर	दामोदर
	गोला	गोला ग्रामीण जलापूर्ति	21.7	भेडा	दामोदर की सहायक नदी
	चितरपुर	चितरपुर ग्रामीण जलापूर्ति	14.6	भेडा	दामोदर की सहायक नदी
	मांडू	कुज्जू ग्रामीण जलापूर्ति	23.4	दामोदर	दामोदर
कुल			1,162.11		

स्रोत: *खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, अप्रैल 2018*

प्रमुख खनन जिलों में डीएमएफ की स्थिति

धनबाद

धनबाद डीएमएफ फंड संग्रहण में झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, जो 715 करोड़ रुपये (मार्च 2018 तक) से अधिक है। जिले का वार्षिक संग्रहण 300 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो मुख्य रूप से कोयला खनन से है।

2016–17 के अनुमानों के मुताबिक, जिले में लगभग 111 कोयला खानों से लगभग 38 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हर साल होता है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) 84 खानों के साथ सबसे बड़ा ऑपरेटर है। अन्य में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (ईसीएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को), और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी शामिल हैं।

धनबाद के खनन प्रभावित क्षेत्र शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में फैले हुए हैं। धनबाद (झरिया) नगर पालिका को सबसे अधिक प्रभावित माना गया है क्योंकि अधिकाँश खान इसके आसपास

तालिका 3: धनबाद जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र

ब्लॉक/नगर पालिका का नाम	कुल पंचायत	खनन प्रभावित पंचायतों की संख्या
धनबाद'	12	9
बाघमारा	61	48
निरसा	27	18
एगारकुंड	20	11
कलियासोल	20	4
बलियापुर	23	12
तोपचांची	28	6
गोविंदपुर	39	5

नोट: *'धनबाद के प्रभावित क्षेत्र केवल पंचायतों को दर्शाते है नगर पालिकाओं को नहीं।*
स्रोत: *जिला खनन कार्यालय धनबाद, 2017*

तालिका 4: धनबाद में खनन प्रभावित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइल

ब्लॉक/नगर पालिका का नाम	ग्रामीण जनसंख्या (%)	शहरी जनसंख्या (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
धनबाद–सह केंदुआडीह–सह जगता*	2.7	97.3	17.5	2.1
बाघमारा–सह कतरास	66.6	33.3	20.8	5.3
निरसा**	61.4	38.6	16.8	14.6
बलियापुर	86.2	13.8	13.9	13.3
गोबिंदपुर	89.7	10.3	11.2	13.8
तोपचांची	68.6	31.4	11.8	6.4

नोट: **धनबाद–सह–केंदुआडीह–सह–जगता ब्लॉक धनबाद नगर निगम में शामिल है।*
***चूंकि एगारकुंड और कालीयासोल को हाल ही में अलग किया गया है (पहले निरसा का हिस्सा था), इन दोनों ब्लॉक की अलग–अलग जनसंख्या सम्बन्धी जानकारी जनगणना 2011 में उपलब्ध नहीं थी।*
स्रोत: *भारत की जनगणना, 2011*

के इलाकों में हैं। इसके अलावा, धनबाद, बाघमारा, निरसा, एगारकुंड, कालीयासोल, बलियापुर, तोपचांची और गोविंदपुर जैसे विभिन्न प्रखंडों में कई पंचायतों को भी जिला द्वारा खनन प्रभावित के रूप में पहचाना गया है *(देखें तालिका 3: धनबाद जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र)*। धनबाद के अलावा, अन्य सभी प्रखंडों में मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी है *(देखें तालिका 4: धनबाद में खनन प्रभावित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइल)*।

डीएमएफ कार्यान्वयन की स्थिति

- धनबाद ने जिले में जलापूर्ति और ओडीएफ परियोजनाओं के लिए डीएमएफ फंड से 935.5 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है *(देखें तालिका 5: विभिन्न क्षेत्रों में निवेश)*।
- 856 करोड़ रुपये से अधिक जलापूर्ति की कुल 19 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रमुख योजनाओं में दक्षिण प्रक्षेत्र और उत्तरी प्रक्षेत्र एवं आसन्न ग्रामों की जलापूर्ति योजना है जो गोविंदपुर, निरसा, एगारकुंड और कालीयासोल प्रखंडों में फैली है *(देखें तालिका 6: धनबाद जिले में जलापूर्ति योजनाएं)*।

तालिका 5: विभिन्न क्षेत्रों में निवेश

प्रक्षेत्र	योजना की संख्या	स्वीकृत (करोड़ में)	कुल स्वीकृति का प्रतिशत (%)
ग्रामीण जलापूर्ति (प्रमुख योजना)	19	856	92
स्वच्छता (ओडीएफ)	–	79	8

स्रोत: *सीएसई विश्लेषण*

तालिका 6: धनबाद जिले में जलापूर्ति योजनाएं

प्रखंड	योजना का नाम	प्राक्कलन (करोड़ में)	पानी का स्रोत (नदी)
बाघमारा	बाघमारा प्रखंड एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	92.69	दामोदर
	महुदा बस्ती एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	11.55	दामोदर
	सौर आधारित मिनी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं–9 परियोजनाएं	1.37	मौजूदा स्रोत
	धर्मा बांध माइन पिट जलापूर्ति योजना	0.14	माइन पिट
	सदरियाडीह ग्रामीण जलापूर्ति	0.21	जमुनिया नदी (दामोदर की उप–नदी)
गोविंदपुर निरसा एगारकुंड कलियासोल	गोविंदपुर–निरसा (दक्षिणी प्रक्षेत्र) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	233.17	पंचेत डैम (दामोदर नदी)
	गोविंदपुर–निरसा (उत्तरी प्रक्षेत्र) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	483.97	मैथन डैम (बराकर नदी, दामोदर की उप–नदी)
	बेरबेन्दिया जलापूर्ति योजना उपचुरिया ग्राम में सुधार कार्य	0.57	
तेपचांची	तोपचांची एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	28.7	जमुनिया
गेविंदपुर	जंगलपुर पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति	3.72	जमुनिया
एगारकुंड	विभिन्न पाइपों की आपूर्ति और बिछाने एवं मरम्मत कार्य	0.35	
कुल		856.44	

स्रोत: *सीएसई विश्लेषण*

- सभी प्रमुख पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए जल स्रोत दामोदर नदी या इसकी सहायक नदी है और 854 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश इन पर किया गया है।
- ओडीएफ परियोजनाओं के लिए 79 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। यह 63,063 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के लिए है।

निवेश कितना प्रभावी है ?

धनबाद में निवेश कितना प्रभावी है इसका मूल्याँकन–विभिन्न मानव विकास संकेतकों की जमीनी स्थिति, लोगों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच और निवेश की दीर्घकालिक स्थिरता को देखते हुए किया गया है *(देखें तालिका 7: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति)*।

मूल्याँकन इस संदर्भ में निम्नलिखित दर्शाता है:

- लाभार्थियों से सम्बंधित योजना और प्राथमिकता में भारी कमी दिखती हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 935.5 करोड़ रुपये के निवेश में से, झारिया, जो सबसे खनन प्रभावित क्षेत्र, के लिए कोई भी राशि की मंजूरी नहीं की गई है। पुनर्वास क्षेत्रों में रहने वाले लोगों (जो डीएमएफ लाभार्थी हैं) के लिए भी कोई निवेश नहीं किया गया है।
- जिला के ग्रामीण क्षेत्रों पर केवल ध्यान है। यह राज्य के एजेंडा और योजनाओं पर आधारित है जो पूर्व में निर्धारित की गईं थीं। उदाहरण के लिए, प्रमुख ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं जो डीएमएफ के अंतर्गत चुनी गई हैं वो पहले से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत ली गईं थीं परन्तु, शुरु नहीं हो पाईं थीं। ओडीएफ से सम्बंधित निवेश भी यही दर्शाते हैं।

- दूसरा सवाल पाइप वाली जलापूर्ति परियोजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के विषय में है, खासकर दामोदर नदी पर जो निर्भर है। उल्लेखनीय प्रश्न जो उठते हैं:

    - **सोर्स की सस्टेनबिलिटी:** जलापूर्ति परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की एक समीक्षा से पता चलता है कि सोर्स सस्टेनबिलिटी (पानी की सतत उपलब्धता) पहलू को नज़रअंदाज़ किया गया है। उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में

तालिका 7: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति

जिला जनसंख्या	कुल	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
	2,684,487	58.1	41.9	16.3	8.7
परिवार	507,064	58.4	41.6		
साक्षरता	74.5	79	68	13.3	6.4
पोषण की स्थिति– यू 5एमआर		25	52		
उपचारित (ट्रीटेड) नल का पानी		46.7	7		
पारिवारिक आय– सबसे अधिक आय वाला मुखिया जिसे 5,000 रुपये प्रति माह से कम मिलता है (%)	73.6				
रोजगार	**श्रमिक (%)**	**गैर-श्रमिक(%)**			**गैर-श्रमिक, 15-59 वर्ष (%)**
	31.5	68.5			52.6

स्रोत: *सेन्सस, 2011; सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011*

रखकर आंकलन नहीं किया गया है, जबकि धनबाद में दामोदर नदी पर 854 करोड़ रुपये के निवेश की सात छोटी और बड़ी परियोजनाएं निर्भर हैं। इसके अलावा, बोकारो और रामगढ़ जिलों ने भी दामोदर नदी पर आधारित पाइप जलापूर्ति योजनाओं पर निवेश किया हैं।

डीपीआर कितना गुणात्मक है उस पर भी ध्यान देने की जरुरत हैं। उदाहरण के लिए, धनबाद के ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 'विशेष कंसलटेंट' द्वारा तैयार किए गए कई डीपीआर ने पाया कि दामोदर नदी से पानी की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह बारहमासी नदी है, जबकि एक अन्य कंसलटेंट द्वारा रामगढ़ जिले में पाइप जलापूर्ति परियोजना का डीपीआर बताता है कि दामोदर को स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह लंबे समय तक पानी की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त करता है। 19 मई 2017 को पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल भ्रमण के दौरान इस बात की पुष्टि की गई, और दामोदर नदी से स्रोत की योजना को खारिज कर दिया गया।

- **पानी का ट्रीटमेंट:** डीपीआर में वाटर ट्रीटमेंट की अनुमानित लागत भी बहुत ही बुनियादी ट्रीटमेंट पर आधारित है। यह हैवी मेटल्स और आयर्न्स (जैसे लौह, मैंगनीज, सीसा, सल्फेट और क्लोराइड इत्यादि) के ट्रीटमेंट को शामिल नहीं करता है ताकि पानी पीने योग्य हो सके।

राजीव खन / सीएसई

धनबाद में निर्माणाधीन एक पाइप जलापूर्ति योजना

- **रखरखाव के मुद्दे:** पाइपलाइन 20 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर गांवों तक पानी पहुंचाएगी। डीपीआर के अनुसार, रखरखाव की लागत उपयोगकर्ता से शुल्क लेकर पूरी की जाएगी। उदाहरण के लिए, 233 करोड़ रुपये की गोविंदपुर/निरसा/एगारकुंड/कालीयासोल जलापूर्ति परियोजना का डीपीआर रखरखाव के लिए 60 रुपये प्रति परिवार मासिक उपयोगकर्ता शुल्क का सुझाव देती है (शुल्क 2015 वर्ष के आधार पर निर्धारित)। हालाँकि, डीएमएफ फंड से रखरखाव पर होने वाले व्यय को पूरा किया जा सकता है जिससे लाभार्थियों को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- राज्य के निर्देशों का पालन करते हुए जिला पूरी तरह से उन मुद्दों पर निवेश करने से चूक गया है, जो खनन प्रभावित लोगों की सख्त जरूरत है। उदाहरण के लिए,
  - **हेल्थकेयर:** 2009 में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धनबाद क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) में से एक माना था। खराब प्रबंधन वाली खानों से होने वाले गंभीर प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं।
    उपलब्ध स्वास्थ्य सम्बंधित बुनियादी ढांचे और संसाधन अपर्याप्त है और उनमें सुविधाओं का अभाव हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अपनी क्षमता से दो गुना ज्यादा सेवा कर रहे हैं। संसाधनों और कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण जिला और उप–जिला अस्पताल मुश्किल से काम कर रहे हैं। 2017 में जिला चिकित्सा कर्मियों की एक समीक्षा से पता चला कि जिले में डॉक्टरों की संख्या कुल आवश्यकता से 60 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, जिले में 70 प्रतिशत स्टाफ नर्स के पद खाली हैं।
  - **आजीविका:** गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए आजीविका का अवसर एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार, काम करने वाले आयु वर्ग (15–59 वर्ष) में लगभग 52 प्रतिशत लोग गैर–श्रमिक हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि बेरोजगारी का स्तर बहुत अधिक है।

    इसके अलावा, दशकों से चले आ रहे खनन के कारण भूमि और जल संसाधनों में गिरावट आने से कृषि और वन आधारित सतत आजीविका के विकल्पों को भारी नुकसान हुआ है। जिला की खराब शिक्षा स्थिति (विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के बाद) के कारण शिक्षित लोग निकल कर नहीं आ रहे है। इसके अलावा, अन्य जिलों से लोगों के प्रवास ने मजदूरी में गिरावट ला दी है। इनके सामने, सबसे खनन प्रभावित झरिया में अवैध रूप (जैसा कि माना जाता है) से कोयला निकालना और इसे स्थानीय बाजार में बेचना ही आय का मुख्य स्रोत हैं। इन लोगों की जीविका के लिए संघर्ष एवं अमानवीय स्थितियों में रहने की मजबूरी स्पष्ट रूप से दिखती है। इसके बावजूद लोग छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वैकल्पिक आजीविका के लिए कोई अवसर नहीं है, जैसा कि झरिया पुनर्वास क्षेत्र की स्थिति से पता चलता है।

श्रेष्ठा बनर्जी / सीएसई

अपनी भूमि में अवैध। दशकों से भारी खनन के कारण भूमि और जल संसाधनों में गिरावट ने स्थानीय लोगों के लिए सतत आजीविका के विकल्पों से समझौता किया है

रामगढ़

रामगढ़ में अब तक 414 करोड़ रुपये से अधिक राशि डीएमएफ में संग्रहित हुई है जो मुख्य रूप से कोयला से है। जिले को प्रत्येक वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये डीएमएफ में प्राप्त होने का अनुमान है।

2016–17 के अनुमानों के मुताबिक जिले में 15 कोयले की खानें हैं, जिनका वार्षिक उत्पादन 16.6 मिलियन टन है। अधिकाँश खान सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की हैं, और एक टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) की है।

रामगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में पतरातू, मांडू, चित्तरपुर, रामगढ़ और गोला प्रखंड के विभिन्न पंचायत शामिल हैं *(देखें तालिका 8: रामगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र)*। जबकि सबसे बड़ा खनन प्रभावित ब्लॉक–मांडू और पतरातू–में शहरी आबादी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खनन प्रभावित क्षेत्र प्राथमिक रूप से ग्रामीणों इलाकों में है *(देखें तालिका 9: रामगढ़ में खनन प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइल)*।

तालिका 8: रामगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र

ब्लॉक/नगर पालिका का नाम	कुल पंचायत	खनन प्रभावित पंचायतों की संख्या
मांडू	36	26
पतरातू	42	28
चितरपुर	13	4
रामगढ़	3	2
गोला	21	2

स्रोत: *जिला खनन कार्यालय रामगढ़, 2017*

तालिका 9: रामगढ़ में खनन प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइल

ब्लॉक/नगर पालिका का नाम	ग्रामीण जनसंख्या (%)	शहरी जनसंख्या (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
मांडू	52.9	47.1	13.8	20.4
पतरातू	37.5	62.5	12.9	26.1
चितरपुर	56.6	43.4	5.4	10.1
रामगढ़	29.6	70.4	11.2	14.7
गोला	100	0	8.1	29.0

स्रोत: *जनगणना, 2011*

तालिका 10: विभिन्न क्षेत्रों में निवेश

प्रक्षेत्र	योजना की संख्या	स्वीकृत (करोड़ में)	कुल स्वीकृति का प्रतिशत (%)
ग्रामीण जलापूर्ति योजना (बड़ी योजना)	14	206.2	63.3
टोलों के लिए सौर आधारित मिनी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं माध्यमिक/उच्च स्कूल	279	15.9	4.9
सौर–आधारित मिनी जल आपूर्ति योजनाएं–विभिन्न टोलों के लिए	217	10.9	3.3
आदिम जनजाति (बिरहोर टोली) के लिए पेयजलापूर्ति योजना	10	0.9	0.3
शौचालय (ओडीएफ)	-	59.7	18.3
स्वास्थ्य सम्बन्धी मोबाइल मेडिकल यूनिट	-	3.1	0.9
जीर्णोधार एवं सुन्दरीकरण (मुख्यता तालाब का)	-	6.7	2.1
पुल–पुलिया	47	22.6	6.9

स्रोत: *जिला प्लानिंग कार्यालय, रामगढ़, अप्रैल 2018*

निवेश की स्थिति

- रामगढ़ ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए डीएमएफ फंड से 326 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं *(देखें तालिका 10: विभिन्न क्षेत्रों में निवेश)*।
- डीएमएफ निवेश मुख्य रूप से पेयजल सम्बंधित योजनाओं पर हैं। छोटी और बड़ी योजनाओं को मिलाकर 234 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 520 योजनाओं को मंजूरी दी गई हैं।
- लगभग 88 प्रतिशत पाइप ग्रामीण जलापूर्ति के 14 परियोजनाओं हैं।
- जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 500 सौर–आधारित मिनी जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विभिन्न टोलों और स्कूलों के लिए भी निवेश किया जा रहा है।
- करीब 60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए 49,726 ओडीएफ/आईएचएचएल कार्यों के लिए।

राजीव रंजन / सीएसई

रामगढ़ जिला सौर–आधारित जल आपूर्ति परियोजनाओं सहित लगभग 520 जल आपूर्ति योजनाओं में निवेश कर रहा है

तालिका 11: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति

जिला जनसंख्या	कुल	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
	949,443	44.2	55.8	11.2	21.2
परिवार	1,79,375	44.9	55.1		
साक्षरता	73.2			65.3	60.3
पोषण की स्थिति– यू 5एमआर		30	37		
उपचारित (ट्रीटेड) नल का पानी					
पारिवारिक आय– सबसे अधिक आय वाला मुखिया जिसे 5,000 रुपये प्रति माह से कम मिलता है (%)	69.7				

रोजगार	श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक, 15–59 वर्ष (%)
	33	67.1	50

स्रोत: *सेन्सस, 2011; सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011*

निवेश कितना प्रभावी है?

रामगढ़ जिले ने पाइप जलापूर्ति और ओडीएफ पर राज्य के निर्देश से अलग भी कुछ निवेश किए हैं। हालाँकि, मौजूदा निवेश जिले में कुछ मानव विकास मानकों की स्थिति और निवेश की व्यवहार्यता को देखते हुए सवाल खड़ा करते हैं *(देखें तालिका 11: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति)*।

- जल आपूर्ति में निवेश के लिए रामगढ़ जिले का निर्णय महत्वपूर्ण है। हालाँकि, दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर पाइप जलापूर्ति योजनाओं की प्रमुख निर्भरता लंबे समय तक इन परियोजनाओं पर आने वाले खर्च पर सवाल उठाती है।
- जलापूर्ति योजनाओं और आईएचएचएल पर अत्यधिक ध्यान देने में, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दें छूट गए हैं। एक प्रमुख मुद्दा हेल्थकेयर है। मांडू और पतरातू जैसे सबसे खनन प्रभावित प्रखंड में, पीएचसी अपनी क्षमता से तीन से चार गुना ज्यादा आबादी पर हैं। साथ ही, लगभग 80–90 प्रतिशत स्टाफ नर्स एवं योग्य हेल्थकेयर तकनीशियन की कमी है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में, जिले को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिक निवेश करना चाहिए था। हालाँकि, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए बहुत कम राशि, मात्र 3 करोड़ मंजूर किए गए हैं। असल में, यह जिला के 'सौंदर्यीकरण' सम्बंधित योजना में निवेश का आधा है।
- लोगों की आय और आजीविका भी एक प्रमुख चिंता है। काम करने वाले आयु वर्ग (15–59 वर्ष) में लगभग आधे लोग गैर–श्रमिक हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण इलाकों में 70 प्रतिशत घरों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले परिवार का मुखिया 5,000 रुपये प्रति माह से कम कमाता है। यदि डीएमएफ ट्रस्ट ने सही विश्लेषण करते हुए योजना बनाई होती, तो पेयजल में निवेश के साथ स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका में ध्यान दिया जाना चाहिए था।

बोकारो

बोकारो में अब तक 265 करोड़ रुपये से अधिक राशि डीएमएफ में संग्रहित हुई है जो मुख्य रूप से कोयला खनन से है। जिले को प्रत्येक वर्ष लगभग 82 करोड़ रुपये डीएमएफ में प्राप्त होने का अनुमान है।

खनन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2016–17 के अनुमानों के मुताबिक जिले में 14 कोयले की खानें हैं, जिनका वार्षिक उत्पादन 11.9 एमटी है। अधिकांश खानों का स्वामित्व सीसीएल और इसकी सहायक कंपनियों के पास है।

बोकारो का खनन प्रभावित क्षेत्र जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ है *(देखें तालिका 12: बोकारो जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र)*। जिला का प्रमुख खनन प्रभावित क्षेत्र बेरमो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा कोयले की खानें भी यही हैं *(देखें तालिका 13: बोकारो में खनन प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइल)*। अन्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में चंद्रपुरा और गोमिया के शहरी और ग्रामीण और चंदनकियारी, नावाडीह और पेटरवार के ग्रामीण हिस्से शामिल हैं।

तालिका 12: बोकारो जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र

ब्लॉक/नगर पालिका का नाम	कुल पंचायत	खनन प्रभावित पंचायतों की संख्या
बेरमो	19	19
चंद्रपुरा	23	10
गोमिया	36	13
चंदनकियारी	38	8
नावाडीह	24	9
पेटरवार	23	9

स्रोत: *जिला खनन कार्यालय, बोकारो, 2017*

तालिका 13: बोकारो में खनन प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइल

ब्लॉक/नगर पालिका का नाम	ग्रामीण जनसंख्या (%)	शहरी जनसंख्या (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
बेरमो*	2.2	97.8	14.9	6
चंद्रपुरा	37	63	11.3	8.5
गोमिया	56	43.4	12.5	20
चंदनकियारी	95	5	25.3	8
नावाडीह	96.7	3.3	13.4	12.5
पेटरवार	96.6	3.4	15	29

नोट: **विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, फुसरो (एनपी) को बरमो में शामिल किया गया है।*
स्रोत: *सेन्सस, 2011*

श्रेष्ठा बनर्जी / सीएसई

बोकारो में एक पुरानी खनन साइट। खनन समाप्त होने के बाद किसी भी व्यवहार्य आजीविका की अनुपस्थिति में कई खनन क्षेत्र भूत कस्बों के रूप में समाप्त होते हैं

निवेश की स्थिति

- बोकारो में डीएमएफ निवेश मुख्यता ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं पर है। 13 योजनाओं के लिए लगभग 169 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं *(देखें तालिका 14: विभिन्न क्षेत्रों में निवेश)*।
- जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए योजनाएं हैं और पानी का प्राथमिक स्रोत दामोदर और इसकी सहायक नदियाँ है *(देखें तालिका 15: बोकारो जिले में पाइप जलापूर्ति योजनाएं)*।
- पाइप जलापूर्ति के अलावा, ओडीएफ के लिए लगभग 10 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं जिनमें 1000 शौचालय/आईएचएचएल शामिल हैं।

तालिका 14: विभिन्न क्षेत्रों में निवेश

प्रक्षेत्र	योजना की संख्या	स्वीकृत (करोड़ में)	कुल स्वीकृति का प्रतिशत (%)
ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना (बड़ी योजना)	13	168.7	94
शौचालय (ओडीएफ)	–	10	14

स्रोत: *जिला खनन कार्यालय, बोकारो, अप्रैल 2018*

तालिका 15: बोकारो जिले में पाइप जलापूर्ति योजनाएं

प्रखंड	योजना	संख्या	लागत (करोड़ में)
बेरमो	बेरमो एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	53.1
चास*	हासाबातू ग्रामीण जलापूर्ति	1	41.6
चंदनकियारी	बाटबिनोर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	8.7
	नौडीहा एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	8.8
गोमिया	झिर्की ग्रामीण जलापूर्ति	1	6.4
	ललपनिया एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	11.9
	पचमो एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	5.3
	कथारा ग्रामीण जलापूर्ति	1	4.6
पेटरवार	अंगवाली ग्रामीण जलापूर्ति	1	5.7
	तेनुघाट दांयाँतट संयुक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	5.2
	तेनुघाट बायाँतट संयुक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	5.8
	चापीं ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	6.8
नावाडीह	दहियारी एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	4.8
कुल		**13**	**168.7**

नोटः **बहुत कम लघु–खनिज खनन गतिविधि है, वास्तव में यह खनन प्रभावित क्षेत्र की सूची में भी नहीं है।*

निवेश कितना प्रभावी है?

दुर्भाग्यवश, बोकारो जिले में खनन और उद्योगों से प्रभावित और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित नहीं हुए है। यह खराब मानव विकास संकेतकों से स्पष्ट है, खासकर ग्रामीण हिस्सों में, जैसे बाल पोषण (यू5एमआर), आजीविका, स्वास्थ्य स्थिति इत्यादि। *(देखें तालिका 16: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति)*। निवेश की व्यवहार्यता निम्नलिखित सुझाव देती हैः

- दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर पाइप जलापूर्ति योजनाओं की अधिक निर्भरता उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में सवाल उठाती है।
- बड़ी पाइप जलापूर्ति योजनाओं पर जाएदा ध्यान से अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे छूट गए है। उदाहरण के लिए, पानी की आपूर्ति में सुधार केवल पाइपलाइन बिछाने के अलावा हो सकते थे। स्कूलों में उपचारित (ट्रीटेड) नल का पानी सुनिश्चित करने के लिए निवेश किये जा सकते थे–जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बोकारो के खनन प्रभावित क्षेत्रों में 85 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में नल की पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि बेरमो, जो एक शहरी क्षेत्र है, 65 प्रतिशत स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं है।
- बोकारो और कुछ महत्वपूर्ण खनन प्रभावित क्षेत्रों के मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। डीएमएफ निवेश से यदि अच्छी तरह से योजना बनाई गई होती, तो अच्छे परिणाम आते। विशेष रूप से दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:
  - **बाल पोषणः** बोकारो ग्रामीण क्षेत्रों में बाल पोषण यू5एमआर 50 पर होने के बावजूद बाल पोषण के लिए डीएमएफ से किसी भी राशि का निवेश करने में असफल रहा है।

तालिका 16: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति

जिला जनसंख्या	कुल	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
	2,062,330	47.7	52.3	14.5	12.4
परिवार	393,439	47.9	52.4	–	–
साक्षरता	72	81	63	63	56
पोषण की स्थिति– यू 5एमआर	–	24	50	–	–
उपचारित (ट्रीटेड) नल का पानी	–	44.1	2.2	–	–
पारिवारिक आय– सबसे अधिक आय वाला मुखिया जिसे 5,000 रुपये प्रति माह से कम मिलता है (%)	76.1				

रोजगार	श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक, 15–59 वर्ष (%)
	33.4	66.6	49.2

स्रोत: *सेन्सस, 2011; सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011*

- **हेल्थकेयर:** खराब स्वास्थ्य की स्थिति और अच्छी स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता खनन प्रभावित समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पेयजल और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल पर समानांतर निवेश, जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों से समग्र रूप से निपटने में मदद कर सकता है।

  बोकारो झारखंड का एकमात्र जिला है जिसमें जिला अस्पताल के अलावा तीन उप–प्रमंडल स्तर पर अस्पताल हैं, जैसा कि रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, 2014–15 में दर्शाया गया है। जिले में सीएचसी की लगभग पर्याप्त संख्या भी है। हालाँकि, इन सुविधाओं पर योग्य और प्रशिक्षित हेल्थकेयर कर्मियों की सकल कमी है। जिला अस्पताल में, डॉक्टरों की संख्या में 69 प्रतिशत की कमी है। उप–प्रमंडल अस्पतालों और सीएचसी में, कमी लगभग 45 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, बोकारो में सीएचसी में सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ आदि जैसे विशेषज्ञों की 50 प्रतिशत कमी है। सीएचसी में स्टाफ नर्सों की गंभीर कमी भी है। प्रारंभिक डीएमएफ निवेश अगर इस अंतर को भरने के लिए होते, तो लोगों के लिए एक बड़ी मदद हो सकती थी।

पश्चिमी सिंहभूम

पश्चिमी सिंहभूम राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क खनन जिला है और डीएमएफ फंड में अबतक 424 करोड़ रुपये से अधिक राशि संग्रहित की है। जिले का वार्षिक अनुमानित संग्रह करीब 165 करोड़ रुपये है।

2016–17 में जिला खनन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में लौह अयस्क का कुल उत्पादन लगभग 16.3 एमटी था। वर्तमान में, जिले में 100 से अधिक लौह अयस्क खान हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत से अधिक नोवामुंडी में स्थित है। इस क्षेत्र का मुख्य ऑपरेटर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) है।

नोवामुंडी, मनोहरपुर और झिंकपानी प्रखंड सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित क्षेत्र हैं *(देखें तालिका 17: पश्चिमी सिंहभूम जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र)*। खनन प्रभावित क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण

तालिका 17: पश्चिमी सिंहभूम जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र

ब्लॉक/नगर पालिका का नाम	कुल पंचायत	खनन प्रभावित पंचायतों की संख्या
नोवामुंडी	18	12
मनोहरपुर	15	11
झिंकपानी	7	3
चाईबासा	15	2
मंझारी	10	2
जगन्नाथपुर	16	1

स्रोत: *जिला खनन कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, 2018*

राजीव रंजन श्रीवास्तव / सीएसई

संसाधन और चिकित्सा कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण, पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में ताला लगा हुआ स्वास्थ्य केंद्र

तालिका 18: पश्चिमी सिंहभूम में खनन प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइल

ब्लॉक/नगर पालिका का नाम	ग्रामीण जनसंख्या (%)	शहरी जनसंख्या (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
नोवामुंडी	51.9	48.1	7.1	58.1
मनोहरपुर	86.2	13.8	2.9	67.4
झिंकपानी	75.7	24.3	5.3	59.8
चाईबासा*	55.4	44.6	3.9	55.7
मंझारी	100	0	1.4	76.8
जगन्नाथपुर	88.0	12.0	5.4	59.6

नोट: * *चाईबासा में चाइबासा ब्लॉक और चाइबासा नगर परिषद शामिल हैं।*
स्रोत: *सेन्सस, 2011*

हैं, और आदिवासी बहुल हैं आदिवासी, 55–75 प्रतिशत *(देखें तालिका 18: पश्चिमी सिंहभूम में खनन प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइल)*।

निवेश की स्थिति

- पश्चिमी सिंहभूम ने मुख्य रूप से जलापूर्ति और ओडीएफ योजनाओं पर डीएमएफ फंड से लगभग 68 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं *(देखें तालिका 19: विभिन्न क्षेत्रों में निवेश)*।
- जलापूर्ति से संबंधित कुल 13 योजनाएं मंजूर की गई हैं, जो लगभग 95 करोड़ रुपये की है। इनमें से आधी योजनाएं चाईबासा और मनोहरपुर क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जो अब तक कुल निवेश का 61 प्रतिशत है *(देखें तालिका 20: पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रखंडवार जलापूर्ति योजनाएं)*।

तालिका 19: विभिन्न क्षेत्रों में निवेश

प्रक्षेत्र	योजना की संख्या	स्वीकृत (करोड़ में)	कुल स्वीकृति का प्रतिशत (%)
पाइप ग्रामीण जलापूर्ति योजना	13	94.68	56
स्वच्छता (शौचालय निर्माण)	–	51.24	30.4
अन्य (प्रशिक्षण केंद्र, रोड)	–	22.69	13.5

स्रोत: *जिला खनन कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम, अप्रैल, 2018*

तालिका 20: पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रखंडवार जलापूर्ति योजनाएं

प्रखंड	योजनाओं की संख्या	निवेश (करोड़ में)
मंझगांव	1	15.4
तांतनगर	1	6.3
मंझारी	1	5.4
जगन्नाथपुर	1	8.5
मनोहरपुर	3	27.7
चक्रधरपुर	1	0.2
बंदगाँव एवं चक्रधरपुर	1	0.5
चाईबासा	4	30.8

स्रोत: *सीएसई विश्लेषण*

राजीव रंजन / सीएसई

पश्चिम सिंहभूम जिले में यू5एमआर 96, देश में सबसे खराब है

- अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र– नोवामुंडी और झिंकपानी के लिए कोई निवेश नहीं।
- स्वच्छता में, विभिन्न प्रखंडों में आईआईएचएल एवं स्लिप बैक टॉयलेट के निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

निवेश कितना प्रभावी है?

झारखंड के किसी भी प्रमुख खनन जिले के विपरीत, आदिवासी बहुल क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम के पोषण संकेतक बहुत गंभीर है *(देखें तालिका 21: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति)*। राज्य के निर्देशों ने पश्चिमी सिंहभूम के जरूरत आधारित प्लानिंग और निवेश की संभावनाओं का दायरा हटा दिया है। विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं की जमीनी स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।

- **पोषण और बाल विकास-** जिले में यू5एमआर 96 है, जो देश में सबसे खराब है। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के बीच पोषण का स्तर भी गंभीर है। लगभग 63 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे स्टनटेड हैं और 67.5 प्रतिशत कम वजन के हैं। सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम इसे संबोधित करने में स्पष्ट रूप से नाकाम रही है। खनन प्रभावित क्षेत्रों जैसे नोवामुंडी, झिकपानी, मंझारी और चाईबासा में आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) अपनी क्षमता से तीन गुना ज्यादा जनसंख्या पर हैं। डीएमएफ निवेश के लिए यह प्राथमिकता क्षेत्र होना चाहिए था। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के तहत 2030 तक यू5एमआर को 25 तक लाने का लक्ष्य है।
- **हेल्थकेयर-** स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ, बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधनों की कमी से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए, झिंकपानी, मंझारी और चाईबासा प्रखंड में कोई भी कार्यरत पीएचसी नहीं है। अन्य स्थानों पर, पीएचसी अपनी क्षमता से दो से तीन गुना ज्यादा जनसंख्या पर हैं। पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारियों की जिले में 60 प्रतिशत कमी है, और जिला अस्पताल में लगभग 55 प्रतिशत डॉक्टर के पद खाली हैं।
- यहाँ तक कि जिले के पेयजल निवेश भी सबसे अति प्रभावित क्षेत्रों की ओर लक्षित नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं के लिए लगभग 95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि सबसे प्रभावित नोवामुंडी और झिंकपानी प्रखंड में अभी तक कोई निवेश नहीं है।

तालिका 21: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति

जिला जनसंख्या	कुल	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
	1,502,338	14.5	85.4	3.8	67.3
परिवार	302,046	14.8	85.2	–	–
साक्षरता	58.6	82	54	63.7	53.4
पोषण की स्थिति– यू5एमआर	–	38	96	–	–
उपचारित (ट्रीटेड) नल का पानी	–	35.9	2.5	–	–
पारिवारिक आय– सबसे अधिक आय वाला मुखिया जिसे 5,000 रुपये प्रति माह से कम मिलता है (%)	65.7				
रोजगार	53. 8				
	श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक (%)		गैर-श्रमिक, 15–59 वर्ष (%)	
	46.3	53.8		27.3	

स्रोत: *सेन्सस, 2011; सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011*

अनुशंसाएं

निम्नलिखित कुछ अनुशंसाएं है जो डीएमएफ को एक समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी संस्थान के रूप में तथा डीएमएफ फंड का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए बेहतर रूप से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है ।

जिलों को डीएमएफ लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए- लाभार्थियों के बिना ट्रस्ट नहीं हो सकता है। इससे लक्षित निवेश करने में भी मदद मिलेगी जैसे महिलाओं और बाल विकास से सम्बंधित योजनाओं में।

खनन प्रभावित लोगों को डीएमएफ प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए- ग्राम सभा (और जहाँ वार्ड सदस्य लागू होते है) का डीएमएफ निकाय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका पालन नहीं करना राज्य डीएमएफ नियमों के साथ–साथ पीएमकेकेकेवाई की भावना का उल्लंघन है। यह स्पष्ट रूप से ग्राम सभा की शक्ति और भागीदारी – लाभार्थियों की पहचान, डीएमएफ प्लानिंग/योजनाओं के चयन एवं डीएमएफ द्वारा हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए निर्दिष्ट करते हैं।

डीएमएफ निकायों में निर्वाचित पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्य का होना ग्रामसभा प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसमें दो बातें है, सबसे पहले, पीआरआई सदस्यों के विभिन्न स्तरों के बीच मतभेद है; और दूसरी जनजातीय क्षेत्रों में, ग्राम सभा का नेतृत्व पारंपरिक प्रधान (जैसे मुंडा) करते हैं, जो पीआरआई सदस्यों की तरह निर्वाचित नहीं होते हैं।

डीएमएफ ट्रस्ट की स्वायत्तता को बनाए रखने की जरूरत है- एमएमडीआर संशोधन अधिनियम (2015) के तहत डीएमएफ ट्रस्ट की मूल भावना और इच्छित स्वायत्तता को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अपने निर्णय लेने की आजादी से समझौता नहीं होना चाहिए। कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा ही केवल इसे चलाया नहीं जा सकता है। हालाँकि, इस फंड की संभावनाओं को देखते हुए, राज्य सरकारें और केंद्र डीएमएफ को बेहतर प्लानिंग, निवेश और कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। राज्य सरकार की डीएमएफ के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी में स्पष्ट भूमिका भी होनी चाहिए।

सभी डीएमएफ के पास एक कार्यालय होना चाहिए- सभी जिलों में डीएमएफ को समन्वय, योजना, निगरानी, लेखांकन और जानकारी के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए एक कार्यालय स्थापित करना चाहिए। विभिन्न राज्यों के डीएमएफ नियम, और पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि डीएमएफ बजट के 5 प्रतिशत तक प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

सरकार इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है जो निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. **डीएमएफ कार्यालय के लिए कर्मचारियों की संख्या -** कर्मचारियों की संख्या संबंधित जिलों के अनुमानित डीएमएफ फंड और बजट के अनुरूप हो सकती है।

2. **कर्मियों का चयन-** डीएमएफ कार्यालय के कर्मचारियों में शामिल होना चाहिए:
   i. पेशेवर विशेषज्ञ जिनका अनुभव विशेष रूप से डीएमएफ नियमों के तहत उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दों की प्लानिंग में हो। यदि, फुलटाइम विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं,

तो पर्याप्त अनुभव वाले सम्बंधित क्षेत्र के पेशेवरों को अनुबंध के आधार पर रखा जा सकता है।

ii. डीएमएफ लाभार्थियों का चयन करने और खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण के प्रयोजनों के लिए अधिकारी; डीएमएफ कार्यों और योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए विभिन्न जिला स्तर के विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय; वार्षिक रिपोर्ट आदि तैयार करना।

iii. डीएमएफटी खातों और अभिलेखों को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए अधिकारी/लेखाकार।

iv. डीएमएफ ट्रस्ट के कामकाज से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए कर्मी। शिकायतों और प्रतिक्रियाओं पर सार्वजनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य के लिए एक वेब–आधारित शिकायत या शिकायत पंजीकरण प्रणाली विकसित की जा सकती है।

v. डीएमएफ ट्रस्ट को तकनीकी–प्रबंधकीय समर्थन प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी अन्य कर्मचारी।

निवेश को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यवस्थित और विकेन्द्रित योजना अभ्यास (बॉटम उप प्लानिंग) का अनुपालन किया जाना चाहिए- प्लानिंग सबसे आवश्यक अभ्यासों में से एक है जिसे डीएमएफ ट्रस्ट को खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों के लिए करना चाहिए। डीएमएफ योजना के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना चाहिए:

डीएमएफ ट्रस्ट को तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने और निवेश को बनाए रखने के लिए वार्षिक और परिप्रेक्ष्य योजना अभ्यास (पर्सपेक्टिव प्लानिंग) करनी चाहिए।

- 'आउटपुट और आउटकम'दृष्टिकोण पर विचार करते हुए लघु अवधि (एक–तीन वर्ष) और मध्यम अवधि की योजना (तीन–पाँच वर्ष) विकसित की जानी चाहिए। इसमें–
  - आउटपुट की समय–सीमा होनी चाहिए और इसे भौतिक तौर या इकाइयों में मापा जा सके, और समय–समय पर निगरानी की जा सके। आउटपुट को परिभाषित परिणाम प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।
  - आउटकम (परिणाम), गुणात्मक सुधार के रूप में होना चाहिए जो समय के साथ हासिल किया जाना चाहिए और लंबे समय तक बनाए रखा जाना चाहिए।

- खनन प्रभावित लोगों के हित में निवेश को प्रभावी बनाने के लिए क्षेत्र/मुद्दों को 'प्राथमिकता' दी जानी चाहिए। प्राथमिकता निर्धारण निम्नलिखित के माध्यम से होना चाहिए:
  - महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक, मानव विकास और पर्यावरण मानकों में अंतर/कमियों का विश्लेषण।
  - खनन प्रभावित समुदायों के साथ सहभागी मूल्याँकन प्रक्रिया (यह डीएमएफ योजना में ग्राम सभा और वार्ड सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता के अनुसार भी है), और खनन से प्रभावित क्षेत्रों से अन्य हितधारकों को (जैसे गैर सरकारी संगठन/सीएसओ, फ्रंट लाइन कर्मी आदि)।

- कार्यान्वयन में सुधार के लिए, डीएमएफ प्लान/निवेश, केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण और एकीकरण पर विचार कर सकते हैं। हालाँकि, इस तरह के अभिसरण केवल प्राथमिकता के मुद्दों के लिए होना चाहिए जैसा कि जरूरतों के विश्लेषण और सहभागिता अभ्यास के माध्यम से निर्धारित किया गया है, और जिला/राज्य बजट में घाटे को ध्यान में रखकर इन्हें किया जाना चाहिए।

- बड़े निवेश को परियोजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए। दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर आधारित तीन जिलों – धनबाद, बोकारो और रामगढ़ की पाइप जलापूर्ति निवेश को सामूहिक रूप से मूल्याँकन किया जाना चाहिए।

डीएमएफ को पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण आधारों का पालन करना चाहिए: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रयोजनों के लिए, डीएमएफ ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाता है, जो सरकार के साथ–साथ सार्वजनिक जाँच के लिए भी है। डीएमएफ ट्रस्ट के पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- सभी डीएमएफ से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक प्रकटीकरण – सार्वजनिक जवाबदेही और संचालन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्राथमिक तरीका है डीएमएफ वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में सभी डीएमएफ संबंधित जानकारी साझा करना। पीएमकेकेकेवाई, पैरा 5, स्पष्ट रूप से इसे 'पारदर्शिता के अनुपालन' की प्रणाली के रूप में भी पहचान करता है।

- प्रत्येक खनन जिले में डीएमएफ वेबसाइट होनी चाहिए। राज्य स्तर पर एक केंद्रीय डीएमएफ वेबसाइट बनानी जानी चाहिए, जिसमें जिलों की विशिष्ट जानकारी शामिल हो। वेबसाइट को डीएमएफ ट्रस्ट के सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी चाहिए:
  - प्रशासनिक निकायों की संरचना – गवर्निंग काउंसिल और प्रबंध समिति – और अन्य जैसा कि संबंधित राज्य डीएमएफ नियमों के तहत निर्दिष्ट किया गया हो,
  - डीएमएफ फंड का संग्रहण,
  - लाभार्थियों की सूची,
  - खनन से प्रभावित क्षेत्रों की सूची (और मानचित्र) – सीधे और परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र,
  - बैठक की कार्यवाही (मीटिंग मिनट्स),
  - ग्राम सभा कार्यवाही,
  - डीएमएफ प्लान,
  - प्रतिबंध और व्यय,
  - परियोजनाओं और कार्यों का विवरण, और चल रही परियोजनाओं/कार्यों की स्थिति,
  - वार्षिक रिपोर्ट सहित खातों और लेखा अंकेक्षण आदि के रिकॉर्ड,
  - डीएमएफ के संबंध में जारी सभी आदेश, अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश।

एक वेबसाइट के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरस्थ के इलाकों में लोगों तक जानकारी पहुचे, इसके लिए जिला और पंचायत स्तर के प्लेटफार्मों में डीएमएफ से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने की प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक बैठकों और विज्ञापनों के माध्यम से जानकारी का प्रसार भी एक वैकल्पिक माध्यम है।

डीएमएफ का व्यापक अंकेक्षण होना चाहिए- वित्तीय, कार्यप्रदर्शन और सामाजिक अंकेक्षण: डीएमएफ सार्वजनिक ट्रस्ट है और पीएमकेकेकेवाई के दिशानिर्देश के तहत काम करने के नाते –खनन से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए एक योजना है, जिसका वित्तीय और कार्यप्रदर्शन अंकेक्षण होना चाहिए।

- सुप्रीम ऑडिट संस्थानों (आईएसएसएआई) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक (सीएजी) के अनुसार, वित्तीय अंकेक्षण यह आश्वासन प्रदान करती है कि वित्तीय स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत किया गया हैं। दूसरा,एक संगठन,

कार्यक्रम या योजना किस कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है उसका मूल्याँकन कार्यप्रदर्शन अंकेक्षण करती है।

- एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित हितधारकों की सहभागिता से, डीएमएफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सामाजिक अंकेक्षण अंतिम लोगों/लाभार्थियों को अवसर प्रदान करती है कि वे विकास के कार्यों का आंकलन कर सकें।

- डीएमएफ के लिए सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य संबंधित हितधारकों और लक्षित लाभार्थियों को सहभागी बनाते हुए योजनाओं और डीएमएफ फंड द्वारा किए गए कार्यों की 'समवर्ती अंकेक्षण'को सुगम बनाना है। लेखा अंकेक्षण में लाभार्थियों की समीक्षा कवरेज, विकास योजनाओं की समयबद्धता/कार्यवाही, कार्य पूर्णतः दर, और ऐसे किसी भी संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं। डीएमएफ के लिए ऐसी प्रणाली को स्थापित करने से डीएमएफ कानून और पीएमकेकेकेवाई के अनुरूप डीएमएफ फंड द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं की समीक्षा में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित होगी। यह प्रक्रिया लोगों को शिक्षित करेगी और उन्हें डीएमएफ कानून के तहत अपने अधिकारों और हक के बारे में जागरूक करेगी।

- सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया सभी खनन प्रभावित पंचायतों का कम से कम 50 प्रतिशत प्रथम वर्ष में और बाकी बचे 50 प्रतिशत का दूसरे वर्ष में करके पूरा कर सकती है। ऐसे अंकेक्षण आयोजित करने के लिए एक दिशानिर्देश जो अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं के अंकेक्षण के लिए किया जाता है और पंचायत एंटरप्राइज सूट जैसे भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रणाली पर विचार किया जा सकता है।

यह रिपोर्ट सीएसई की
People First
District Mineral Foundation (DMF) Status Report 2018
पर आधारित है

Centre for Science and Environment
41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi 110 062
Phones: 91-11-29955124, 29955125, 29953394
Fax: 91-11-29955879 E-mail: cse@cseindia.org
Website: www.cseindia.org